ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176052 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रीता देवी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री करतार चंद सिंह	01/04/2022 से 31/03/2023
2.	श्री इंदु बाला	01/04/2023 से 01/06/2023
3.	श्री अमित कुमार	02/06/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री भुवनेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गोपाल कृष्ण	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.09
2.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.16
3.	7.1	संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.45
4.	7.2	गृहकर/संपत्ति कर की वसूली से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन करना	0.01
5.	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	0.19
6.	8.2	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.33
7.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.14
8.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	6.93
9.	8.5	पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करना	0.84
10.	8.6	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	8.82

11.	8.7	प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8.82
12.	9.1	व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.40
13.	9.2	मूल्यांकन किए बिना निर्माण कार्यों हेतु भुगतान करना पाया जाना	10.37
14.	9.3	मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	2.36
15.	9.4	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	10.54
16.	9.5	मूल्यांकित राशि की तुलना में अतिरिक्त भुगतान करना पाया जाना	0.06
17.	9.6	सीमेंट का अनियमित/अतिरिक्त क्रय करना पाया जाना	0.48
18.	9.7	कृत व्यय से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना का पाया जाना	57.03
19.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
2.	4 (1)	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022

	(2)	से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
3.	5	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
4.	5 (1)	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
5.	6	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
6.	7	**आंशिक निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)। वसूली हेतु शेष मोबाईल टावर फीस की वसूली शीघ्र कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
7.	8	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
8.	9	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
9.	10	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
10.	11	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)
11.	12	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)

12.	13	**निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान)

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2025 से 04.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	10/2022	05/2022
2023-24	08/2023	08/2023

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 10/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 04.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 40/2024 दिनांक 24.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	298151.00	121101.00	419252.00	82923.00	336329.00
2023-24	336329.00	23079.00	359408.00	74737.00	284671.00

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1915273.45	8021852.00	9937125.45	8122959.92	1814165.53
2023-24	1814165.53	7173918.33	8988083.86	6972191.62	2015892.24

कुल योग (1+2) = 284671.00 + 2015892.24 = **2300563.24**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹23,00,563.24** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹22,91,736.54 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	**शीर्ष**	**बैंक**	**खाता सं०**	**बैंक अंत शेष 31.03.2024**
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB चामुंडा	20012083430	₹0.00
		KCCB चामुंडा	20012008338	₹2,85,391.00

2.	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	KCCB चामुंडा	50056473163	₹3,07,815.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB चामुंडा	50067888701	₹51,087.56
4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	KCCB चामुंडा	50056473038	₹5,693.79
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB चामुंडा	50074154146	₹0.00
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	KCCB चामुंडा	50067917041	₹52,992.00
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB चामुंडा	50056473049	₹0.00
8.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB चामुंडा	50067890786	₹1,41,460.00
9.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	KCCB चामुंडा	50056473210	₹0.00
		KCCB चामुंडा	50068374169	₹0.00
10.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	CBI चामुंडा	3777581251	₹14,46,599.19
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹698.00
	कुल योग			₹22,91,736.54
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा- 4(क) के अनुसार अन्तशेष :-				**₹23,00,563.24**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				**₹22,91,736.54**
अंतर :-				**₹8,826.70**

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.09 लाख के अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार, पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹8,826.70** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 25.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 25.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. **अनुदान**

6.1 अनुदान राशि ₹20.16 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 40/2024 दिनांक 24.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 20,15,892.24** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 25.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को फंडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए । लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं उसे सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रहा था अथवा नहीं ?

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 25.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है, जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 25.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.45 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 27.02.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 11 दिनांक 28.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹44,900.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 गृहकर/संपत्ति कर की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.01 लाख के संभावित दुर्विनियोजन बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त और खर्च किया गया सारा धन, ग्राम पंचायत निधि में जमा और प्रत्याहृत किया जाएगा तथा वित्त नियम 7(1) के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव, साधारण नियमों के प्ररूप-14 में रोकड़ बही बनाएगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियां संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान प्रपत्र-3 की रसीद बुकों का संबंधित रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक से मिलान करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित किए गये गृहकर/संपत्ति कर की कुल राशि में से **₹ 1,400.00** का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया और न ही उक्त राशि को बैंक में जमा करवाया गया था जोकि अति गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है। प्रथम दृष्ट्या इस राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा बताया कि उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही में कर दिया जाएगा एवं बैंक में जमा कर दिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार तर्कसंगत नहीं है।

अत: गृहकर/संपत्ति कर की एकत्रित राशि **₹ 1,400.00** को रोकड़ बही में दर्ज न करना और न ही उक्त राशि को बैंक में जमा करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग पत्र क्रमांक पीसीएच-एचए (5) सी (15)313/89-50234-322 दिनांक 26.03.2010 द्वारा पंचायत की अग्रिम, नकद व अवैध राशियों की वसूली बारे जारी दिशा-निर्देशों अनुसार उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 स्व: स्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.19 लाख के व्यय करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही राशि **₹18,946.00** का नगद व्यय किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्रोतों की आय के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा व समस्त प्राप्त नगद राशि को पहले बैंक में जमा करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार तर्कसंगत नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.33 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार, निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक

02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट** - "**छ** " पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹33,328.05** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 01.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 01.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः राशि **₹33,328.05** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.14 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारेः-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹6,93,355.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹13,867.10** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 01.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम

प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹6.93 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹6,93,355.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " झ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 01.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 03.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना राशि **₹6,93,355.00** की निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से किया व अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि भविष्य में सामग्री का क्रय औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण करने उपरांत ही किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को

अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 राशि ₹0.84 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करने बारे: -

सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हेतु हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store)** की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** को प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹83,875.00** मूल्य के पेवर ब्लॉक्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portal से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान *"It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate. Before placing the supply, order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded technical sanction"*, की पालना की गई जोकि अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 01.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 03.03.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पेवर ब्लॉक की खरीद खुले बाजार से किया गया है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही पेवर ब्लॉक का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न

करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.6 अग्रिम राशि ₹8.82 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹8,82,304.02** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.7 राशि ₹8.82 लाख के प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए,

संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय के समर्थन में ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को **परिशिष्ट "ट"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹8,82,304.02** का भुगतान किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की उचित पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने करवाने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण राशि ₹0.40 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों

अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹40,468.29** का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिससे से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाते हुये व नियमानुसार कार्यों के भुगतान तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मूल्यांकन किए बिना निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹10.37 लाख का भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **106** के अनुसार अंतिम भुगतान से पूर्व अंतिम निर्धारण और समापन रिपोर्ट प्रेषित करना तथा नियम **101(2)(i)** के अनुसार कार्य के पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर उनकी पैमाइश की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों, मस्ट्रोलों एवं माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत **परिशिष्ट "ड"** पर संलग्न विवरणानुसार व्यय राशि

₹10,37,260.38 के विकास कार्यों के पूर्ण होने के काफी लम्बे समय तक भी तकनीकी सहायक द्वारा कार्यों की पैमाइश/ मूल्यांकन नहीं किया गया था एवं पंचायत द्वारा बिना पैमाइश/ मूल्यांकन के भुगतान कर दिया गया था । प्रावधान अनुसार मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित कर माप पुस्तिका का विवरण दर्ज किया गया था परंतु सम्बन्धित माप पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त पाए गए जिससे संभावित है कि तकनीकी सहायक द्वारा केवल खानापूर्ति की गई हो अथवा इन कार्यों को धरातल पर निष्पादित नहीं किया गया हो । यह एक अति गंभीर अनियमितता है और इसके कारण किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अपितु उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। तकनीकी सहायक अंकेक्षण के दौरान अनुपस्थित होने के कारण माप पुस्तिकाओं में मूल्यांकन दर्ज न करने बारे चर्चा नहीं हो पाई। पंचायत अंकेक्षण को आश्वासन देती है कि इस बारे तकनीकी सहायक को नियामनुसार कार्रवाई करने हेतु हिदायत जारी करेगी और इस बारे में भविष्य में नियमानुसार की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में लम्बे समय तक तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज न किए जाने एवं पंचायत द्वारा बिना मूल्यांकन के भुगतानों को ठोस तथ्यों के आधार पर समर्थित अभिलेख तथा सक्षम अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मूल्यांकन दर्ज किए बिना भुगतानों पर अविलम्ब रोक लगाई जाये।

9.3 मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन न करने के कारण राशि ₹2.36 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा 16 के अनुसार मस्ट्रोल बंद होने के 03 दिनों के भीतर तकनीकी कर्मियों द्वारा कार्य स्थल पर लिए गए माप के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना है। मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) 2022-23

तथा 2023-24 के पैरा 7.12.4 के अनुसार, प्रत्येक मस्टर रोल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन किए बिना मजदूरी का भुगतान करने हेतु राशि **₹2,36,269.00** का व्यय किया गया जोकि अनियमित है व जिससे सम्बन्धित मस्ट्रोलों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ़ "** पर संलग्न है। मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन न करने के कारण मजदूरी हेतु भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में संभव न हो सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि तकनीकी सहायक के पास एक साथ 5 से 6 पंचायत का कार्यभार होने के कारण व समय के अभाव के चलते प्रत्येक मस्टर रोल का मूल्यांकन करना मुमकिन नहीं हो पाता है जिस कारण कार्य समाप्ति पर माप अनुसार मूल्यांकन किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोलवार कार्य के मूल्यांकन उपरांत मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित स्वीकृत राशि ₹10.54 लाख के कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित स्वीकृत राशि **₹10,54,282.00** के विकास कार्यों से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है जिसके अभाव में संबंधित स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 मूल्यांकित राशि की तुलना में राशि ₹0.06 लाख के अतिरिक्त भुगतान बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्य ***"निर्माण कूहल राकेश के घर से प्रकाश चंद के घर की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/ 8000047016)"*** हेतु माप पुस्तिका संख्या 0136 के पृष्ठ 95 से 96 के अनुसार मूल्यांकित राशि **₹2,15,076.00** की तुलना में राशि **₹2,21,470.90** का भुगतान किया गया था जिस कारण राशि **₹6,395.00** का अधिक भुगतान पाया गया जोकि अनियमित है एवं उक्त राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.6 राशि ₹0.48 लाख के सीमेंट के अनियमित/अतिरिक्त क्रय बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्य **निर्माण सम्पर्क मार्ग विद्याधर की जमीन से टेक चंद की जमीन की तरफ (1304009408/RC /8000120244)** हेतु राशि **₹48,256.60** का अग्रिम भुगतान सीमेंट क्रय हेतु H.P.S.C.S.Co. Ltd. Khaniyara को किया गया था। MIS अनुसार कार्य समाप्त कर दिया गया है और माप पुस्तिका अनुसार इस कार्य में सीमेंट प्रयोग नहीं हुआ है और स्टॉक रजिस्टर अनुसार सीमेंट की प्राप्ति भी दर्ज नहीं पाई गई जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि सीमेंट हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि को H.P.S.C.S.Co. Ltd. Khaniyara से वापिस प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.7 व्यय राशि ₹57.03 लाख से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार तकनीकी सहायक की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना एवं कनिष्ठ अभियंता की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, ₹3.00 लाख तक की लागत वाले कार्य कनिष्ठ अभियंता द्वारा पारित किए जाएंगे और कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए गए ₹3.00 लाख से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक अभियंता या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " त "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से सत्यापना एवं नमूना जांच के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है।

अत: सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताओं बारे समर्थित अभिलेख सहित तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा माप पुस्तिकाओं में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करने उपरांत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन व अनुरक्षण हेतु वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये।

9.8 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट -ई"** में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " ठ "** से **" त "** के अनुसार संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राशि ₹400 की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹400.00** प्राप्ति हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " थ"** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार प्राप्ति न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 27.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 13 दिनांक 28.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली हेतु शेष विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹4,050.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " थ "** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 27.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 13 दिनांक 28.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा है जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी।

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01

2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता बही	29(1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०सं०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	विकास कार्यों का लेखा-जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 27.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12 दिनांक 28.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बल्ला जदरांगल दिनांक 03.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 04.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

3072-3076 31 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)116/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176052

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BALLA JADRANGAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	298151.00	121101.00	419252.00	82923.00	336329.00
2023-24	336329.00	23079.00	359408.00	74737.00	284671.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1915273.45	8021852.00	9937125.45	8122959.92	1814165.53
2023-24	1814165.53	7173918.33	8988083.86	6972191.62	2015892.24

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

36 32

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176052

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BALLA JADRANGAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1.	5th SFC	2022-23	240096.00	238042.00	478138.00	230860.00	247278.00
		2023-24	247278.00	338843.00	586121.00	278306.00	307815.00
2.	VKVNY	2022-23	206798.94	409693.00	616491.94	480695.00	135796.94
		2023-24	135796.94	33455.00	169251.94	118164.38	51087.56
3.	SDP	2022-23	100000.79	354193.00	454193.79	448500.00	5693.79
		2023-24	5693.79	257.00	5950.79	0.00	5950.79
4.	RGSA	2022-23	34473.00	250619.00	285092.00	285018.92	73.08
		2023-24	73.08	2.92	76.00	0.00	76.00
5.	NRHM	2022-23	50000.00	1428.00	51428.00	0.00	51428.00
		2023-24	51428.00	1564.00	52992.00	0.00	52992.00
6.	SBM	2022-23	138000.00	2427.00	140427.00	139009.00	1418.00
		2023-24	1418.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00
7.	MMGPY	2022-23	0.00	170477.00	170477.00	27465.00	143012.00
		2023-24	143012.00	33749.00	176761.00	35301.00	141460.00
8.	14th FC	2022-23	2.72	7782.00	7784.72	275.00	7509.72
		2023-24	7509.72	3.49	7513.21	7512.51	0.70
9.	15th FC	2022-23	1145902.00	711835.00	1857737.00	635781.00	1221956.00
		2023-24	1221956.00	291149.00	1513105.00	58012.81	1455092.19
10.	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	425200.00	425200.00	425200.00	0.00
		2023-24	0.00	421629.00	421629.00	421629.00	0.00
11.	MNREGA	2022-23	0.00	5450156.00	5450156.00	5450156.00	0.00
		2023-24	0.00	6053265.92	6053265.92	6053265.92	0.00

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

33

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176052

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2022	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB Chamunda	20012083430	₹ 1,25,500.00	₹ 0.00	₹ 2,85,391.00	₹ 2,84,671.00
		KCCB Chamunda	20012008338	₹ 1,72,567.00	₹ 2,85,391.00		
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	KCCB Chamunda	50056473163	₹ 2,40,096.00	₹ 3,07,815.00	₹ 3,07,815.00	₹ 3,07,815.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB Chamunda	50067888701	₹ 2,28,169.72	₹ 51,087.56	₹ 51,087.56	₹ 51,087.56
4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	KCCB Chamunda	50056473038	₹ 1,00,000.79	₹ 5,693.79	₹ 5,693.79	₹ 5,950.79
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB Chamunda	50074154146	₹ 34,473.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 76.00
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	KCCB Chamunda	50067917041	₹ 50,000.00	₹ 52,992.00	₹ 52,992.00	₹ 52,992.00
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB Chamunda	50056473049	₹ 1,38,000.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 1,418.00
8.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB Chamunda	50067890786	₹ 0.00	₹ 1,41,460.00	₹ 1,41,460.00	₹ 1,41,460.00
9.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	KCCB Chamunda	50056473210	₹ 2,00,000.21	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.70
		KCCB Chamunda	50068374169	₹ 2.51	₹ 0.00		
10.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	CBI Chamunda	3777581251	₹ 11,45,902.00	₹ 14,46,599.19	₹ 14,46,599.19	₹ 14,55,092.19
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 84.00	₹ 698.00	₹ 698.00	₹ 0.00
	कुल योग			**₹ 24,34,795.23**	**₹ 22,91,736.54**	**₹ 22,91,736.54**	**₹ 23,00,563.24**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 23,00,563.24**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 22,91,736.54**
अंतर :-	**₹ 8,826.70**

Amit Kumar

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

34

(परिशिष्ट " **घ** ", पैरा संख्या " **7.1** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176052

दिनांक 31-03-2024 को सम्पत्ति कर/ गृहकर राशि ₹ 0.45 लाख वसूली हेतु शेष का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 एवं 2023-24 में 408 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 41,500.00	408	₹ 100.00	₹ 40,800.00	₹ 82,300.00	₹ 78,200.00	₹ 4,100.00
2023-24	₹ 4,100.00	408	₹ 100.00	₹ 40,800.00	₹ 44,900.00	₹ 0.00	₹ 44,900.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 44900/-** है।						

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " 7.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा गृहकर से प्राप्त राशि ₹ 0.01 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन एवं बैंक खाते में जमा न करने का विवरण

House tax collection details				Cashbook Entries of collected House Tax			
Sl. No.	Receipt No.	Receipt Date	Amount	Sl. No.	Voucher No.	Voucher Date	Amount
1.	0042262 to 0042296	30-09-2022	₹ 7,000.00	1.	OWN/2022-23/R/14	01-10-2022	₹ 54,600.00
2.	0042297 to 0042298	30-09-2022	₹ 200.00	2.	OWN/2022-23/R/21	04-10-2022	₹ 7,600.00
3.	0042299 to 0042300	30-09-2022	₹ 400.00	3.	OWN/2022-23/R/16	10-10-2022	₹ 8,800.00
4.	0042301 to 0042400	30-09-2022	₹ 20,000.00	4.	OWN/2022-23/R/17	10-10-2022	₹ 200.00
5.	0042401 to 0042500	30-09-2022	₹ 20,000.00	5.	OWN/2022-23/R/19	11-10-2022	₹ 200.00
6.	0042501 to 0042600	30-09-2022	₹ 20,000.00	6.	OWN/2022-23/R/20	21-10-2022	₹ 3,200.00
7.	0042601 to 0042616	10-10-2022	₹ 3,200.00	7.	OWN/2022-23/R/24	20-12-2022	₹ 800.00
8.	0042620	10-10-2022	₹ 200.00	8.	OWN/2022-23/R/25	06-01-2023	₹ 200.00
9.	0042623	11-10-2023	₹ 200.00	9.	OWN/2022-23/R/26	06-01-2023	₹ 200.00
10.	0042625 to 0042640	21-10-2022	₹ 3,200.00	10.	OWN/2022-23/R/27	20-01-2023	₹ 800.00
11.	0042646 to 0042649	20-12-2022	₹ 800.00				
12.	0042650 to 0042652	27-12-2022	₹ 600.00				
13.	0042655	03-01-2023	₹ 200.00				
14.	0042656 to 0042659	17-01-2023	₹ 800.00				
15.	0042662	17-02-2023	₹ 200.00				
16.	0042665 to 0042666	28-02-2023	₹ 400.00				
17.	0042669	13-03-2023	₹ 200.00				
18.	0042672	13-03-2023	₹ 200.00				
19.	0042675	06-04-2023	₹ 200.00				
		कुल जोड़	₹ 78,000.00			कुल जोड़	₹ 76,600.00

	Total House tax collected	₹ 78,000.00
	Total of Cashbook Entries of collected House Tax	₹ 76,600.00
	Difference	₹ 1,400.00

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Ofiice.

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

36

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाए बिने सभा निधि से सीधे तौर पर व्यय करने के कारण राशि ₹ 0.19 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

Income Reciept as Cash					Payment made in Cash				
Sl. No.	Type of Reciept	Voucher No.	Voucher Date	Amount not deposited in bank	Sl. No.	Type of Expenditure	Voucher No.	Voucher Date	Direct C.I.H. Expenditure
	Cash in Hand Opening Balance as on 01.04.2022			₹ 84.00					
1.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/1	03-06-2022	₹ 200.00	1.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/22	12-05-2022	₹ 22.00
2.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/4	19-07-2022	₹ 20.00	2.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/6	21-05-2022	₹ 42.00
3.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/5	19-07-2022	₹ 2,500.00	3.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/26	03-08-2022	₹ 1,000.00
4.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/6	26-07-2022	₹ 200.00	4.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/27	03-08-2022	₹ 2,135.00
5.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/7	26-07-2022	₹ 2,500.00	5.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/31	03-08-2022	₹ 1,422.00
6.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/8	26-07-2022	₹ 400.00	6.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/32	22-08-2022	₹ 1,000.00
7.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/9	03-08-2022	₹ 2,500.00	7.	Other Expenditure	OWN/2022-23/P/33	22-08-2022	₹ 3,350.00
8.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/11	03-08-2022	₹ 600.00	8.	Electricity Charges	OWN/2022-23/P/34	10-10-2022	₹ 91.00
9.	Property Tax	OWN/2022-23/R/21	04-10-2022	₹ 50.00	9.	Office Expenses	OWN/2022-23/P/35	10-10-2022	₹ 866.00
10.	Property Tax	OWN/2022-23/R/16	10-10-2022	₹ 1,200.00	10.	G.P. Programme	OWN/2022-23/P/36	10-10-2022	₹ 200.00
11.	Property Tax	OWN/2022-23/R/17	10-10-2022	₹ 200.00	11.	Other Expenditure	OWN/2022-23/P/46	20-12-2022	₹ 707.00
12.	Property Tax	OWN/2022-23/R/19	11-10-2022	₹ 200.00	12.	Computer Expenses	OWN/2022-23/P/50	10-01-2022	₹ 707.00
13.	Property Tax	OWN/2022-23/R/24	20-12-2022	₹ 800.00	13.	Other Expenditure	OWN/2022-23/P/53	23-01-2023	₹ 1,090.00
14.	Property Tax	OWN/2022-23/R/25	06-01-2023	₹ 200.00	14.	Administrative Expenses	OWN/2022-23/P/54	13-03-2023	₹ 819.00
15.	Property Tax	OWN/2022-23/R/26	06-01-2023	₹ 200.00	15.	Administrative Expenses	OWN/2022-23/P/56	31-03-2023	₹ 450.00
16.	Property Tax	OWN/2022-23/R/27	20-01-2023	₹ 800.00	16.	Administrative Expenses	OWN/2023-24/P/1	19-05-2023	₹ 200.00
17.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/28	06-02-2023	₹ 400.00	17.	Administrative Expenses	OWN/2023-24/P/2	19-05-2023	₹ 480.00
18.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/29	17-02-2023	₹ 400.00	18.	P.R. Programmes	OWN/2023-24/P/9	03-08-2023	₹ 426.00
19.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/30	22-02-2023	₹ 10.00	19.	Administrative Expenses	OWN/2023-24/P/10	01-11-2023	₹ 721.00
20.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/31	22-02-2023	₹ 200.00	20.	Administrative Expenses	OWN/2023-24/P/11	01-11-2023	₹ 1,600.00
21.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/32	28-02-2023	₹ 400.00	21.	Office Expenses	OWN/2023-24/P/13	31-01-2024	₹ 1,618.00
22.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/34	13-03-2023	₹ 200.00					
23.	Other Receipt	OWN/2022-23/R/36	16-03-2023	₹ 200.00					
24.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/1	06-04-2023	₹ 10.00					
25.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/2	06-04-2023	₹ 200.00					
26.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/3	03-05-2023	₹ 200.00					
27.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/6	17-06-2023	₹ 434.00					
28.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/11	18-08-2023	₹ 400.00					
29.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/12	23-08-2023	₹ 2,100.00					
30.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/17	22-09-2023	₹ 400.00					
31.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/18	20-12-2023	₹ 400.00					
32.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/19	20-12-2023	₹ 400.00					
33.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/20	03-01-2024	₹ 50.00					
34.	Other Receipt	OWN/2023-24/R/21	06-01-2024	₹ 200.00					
			कुल जोड़	₹ 19,258.00				कुल जोड़	₹ 18,946.00

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Office.

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

87

परिशिष्ट " छ ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 0.33 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान राशी GST सहित	फार्म X / फार्म W
1	Anurodh	Nil/01/08/2023	373/28/01/2023	Sand Crusher	₹ 37.49	200.00 cft	₹ 7,498.00	Not available
				GST @ 5%			₹ 374.90	
2	Anurodh	Nil/01/08/2023	374/28/01/2023	Aggregate Crusher	₹ 27.49	200.00 cft	₹ 5,498.00	Not available
				GST @ 5%			₹ 274.90	
3	Anurodh	Nil/01/08/2023	264/23/08/2022	Sand Crusher	₹ 37.49	500.00 cft	₹ 18,745.00	Not available
				GST @ 5%			₹ 937.25	
					कुल जोड़		₹ 33,328.05	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Ofiice.

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.14 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि	G.S.T T.D.S. कटौती दर	G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि
1.	2023-24	08/2023	Maa Jwala Traders, V.P.O. Nandher (Zamanabad) Kangra GST No. **02DYCPK5566A1ZU**	P/Fixing Steel Work Including Pipe Post & Roof Frame, Roof Celling Work, Providing & Fixing Roofing Fabrication Work G.I. & Providing & Fixing 40MM Cement Locking Tiles Floor	**₹ 6,93,355.00**	2%	₹ 13,867.10
			Total (R/Off)		**₹ 6,93,355.00**	2%	**₹ 13,867.10**

Note: There was no bifurcation of GST Paid in the bill amount, therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS.

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Ofiice.

ग्राम पंचायत प्रधान
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 6.93 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष - 2023-2024							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशि GST सहित	टिप्पणी
1.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	483/30/12/2022	Providing of Fixing Steel Work Including Pipe Post & Roof Frame	₹ 150.00	612.00 Kgs	₹ 87,750.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
2.	Maa Jwala Traders	Nil/01/08/2023	484/05/01/2023	Providing of Fixing Steel Work Including Pipe Post & Roof Frame	₹ 150.00	615.00 Kgs	₹ 91,600.00	
3.	Maa Jwala Traders	Nil/01/08/2023	488/19/01/2023	Roof Celling Work	₹ 155.00	182.00 Ft^2	₹ 28,210.00	
4.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	487/17/01/2023	Roof Celling Work	₹ 155.00	182.00 Ft^2	₹ 28,210.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
5.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	486/15/01/2023	Roof Celling Work	₹ 155.00	182.00 Ft^2	₹ 28,210.00	
6.	Maa Jwala Traders	Nil/03/08/2023	491/04/02/2023	Providing & Fixing Roofing Fabrication Work G.I.	₹ 310.00	400.00 Ft^2	₹ 1,24,000.00	
7.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	490/01/02/2023	Providing & Fixing Roofing Fabrication Work G.I.	₹ 310.00	400.00 Ft^2	₹ 1,24,000.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
8.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	489/30/01/2023	Providing & Fixing Roofing Fabrication Work G.I.	₹ 310.00	400.00 Ft^2	₹ 1,24,000.00	
9.	Maa Jwala Traders	Nil/03/08/2023	493/10/02/2023	Providing & Fixing 40MM Cement Locking Tiles Floor	₹ 85.00	225.00 Ft^2	₹ 19,125.00	
10.	Maa Jwala Traders	Nil/02/08/2023	492/08/02/2023	Providing & Fixing 40MM Cement Locking Tiles Floor	₹ 85.00	225.00 Ft^2	₹ 19,125.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
11.	Maa Jwala Traders	Nil/03/08/2023	494/12/02/2023	Providing & Fixing 40MM Cement Locking Tiles Floor	₹ 85.00	225.00 Ft^2	₹ 19,125.00	
						कुल जोड़	**₹ 6,93,355.00**	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Office.

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
[illegible]

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा राशि ₹ 0.84 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023								
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	M/S N. S. Energies	Nil/02/08/2023	424/27/08/2022	Tiles Locking Covel Grey	₹ 38.00	1000.00 no	₹ 38,000.00	हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portal से उपलब्धता सुनिश्चित न करना।
2.	M/S N. S. Energies	Nil/02/08/2023	426/27/08/2022	Tiles Locking Red Covel	₹ 39.00	1000.00 no	₹ 39,000.00	
3.	M/S N. S. Energies	Nil/02/08/2023	1060/16/09/2022	Minor 40 M.M. Grey Tiles	₹ 27.50	250.00 no	₹ 6,875.00	
						कुल जोड़	₹ 83,875.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Office.

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

41

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 8.6 व 8.7 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 8.82 लाख का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Date	मद का नाम	Cheque No / Dt		भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	SDP/2022-23/P/1 Dt 21.05.2022	Not Produced	सीमेंट	647343/ 20.05.2022		₹ 31,022.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	SDP/2022-23/P/2 Dt 21.05.2022	Not Produced	सीमेंट	647344/ 20.05.2022		₹ 44,810.00
						जोड़ (i)	₹ 75,832.00
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2019	24323/22/01/2022	सीमेंट	₹ 344.69	18.00 Bags	₹ 6,204.42
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2020	24324/22/01/2022	सीमेंट	₹ 344.69	18.00 Bags	₹ 6,204.42
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2021	24325/22/01/2022	सीमेंट	₹ 344.69	18.00 Bags	₹ 6,204.42
4.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08162/19/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	45.00 Bags	₹ 15,511.05
5.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	24322/22/01/2022	सीमेंट	₹ 344.69	115.00 Bags	₹ 39,639.35
6.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	24321/22/01/2022	सीमेंट	₹ 344.69	90.00 Bags	₹ 31,022.10
7.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	4738/28/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	115.00 Bags	₹ 39,639.35
8.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	24334/17/02/2022	सीमेंट	₹ 344.69	30.00 Bags	₹ 10,340.70
9.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08163/19/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	185.00 Bags	₹ 63,767.65
10.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08160/19/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	210.00 Bags	₹ 72,384.90
11.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08161/19/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	190.00 Bags	₹ 65,491.10
12.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08161/14/09/2021	सीमेंट	₹ 344.69	25.00 Bags	₹ 8,617.25
13.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	08698/04/12/2021	सीमेंट	₹ 344.69	140.00 Bags	₹ 48,256.60
14.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	5249/03/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	62.00 Bags	₹ 21,370.78
15.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0119285/26/06/2021	सीमेंट	₹ 344.69	75.00 Bags	₹ 25,851.75
16.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099150/03/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	65.00 Bags	₹ 22,404.85
17.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4304/22/02/2022	सीमेंट	₹ 344.69	160.00 Bags	₹ 55,150.40
18.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	4740/28/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	115.00 Bags	₹ 39,639.35
19.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	4737/28/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	120.00 Bags	₹ 41,362.80
20.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	4739/28/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	80.00 Bags	₹ 27,575.20
21.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	5250/03/08/2021	सीमेंट	₹ 344.69	82.00 Bags	₹ 28,264.58
						जोड़ (ii)	₹ 6,74,903.02
	अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM PFMS)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	32/ 21.05.2022	13817/20/05/2022	सीमेंट	₹ 344.69	42.00 Bags	₹ 14,477.00
						जोड़ (iii)	₹ 14,477.00
वित्त वर्ष - 2023-2024							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)						
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/03/08/2023	43112/25/07/2023	सीमेंट	₹ 401.00	72.00 Bags	₹ 28,872.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/03/08/2023	43110/25/07/2023	सीमेंट	₹ 401.00	100.00 Bags	₹ 40,100.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/03/08/2023	43111/25/07/2023	सीमेंट	₹ 401.00	120.00 Bags	₹ 48,120.00
						जोड़ (iv)	₹ 1,17,092.00
						कुल जोड़ (i + ii+iii+iv)	₹ 8,82,304.02

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Balla Jadrangal is true and as per records available at GP Balla Jadrangal Office.

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

42

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 0.40 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	लाभार्थी का नाम	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	MIS अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय	मजदूरी अनुसार सामग्री पर व्यय योग्य राशी	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1.	फलदार पौधारोपण अनिल कुमार पुत्र घुंडू राम जमीन में वार्ड तीन (मनरेगा समग्र 21-22)	1304009408/IF/32263427	श्री अनिल कुमार	₹ 1,34,623.18	₹ 56,065.18	₹ 78,558.00	₹ 52,319.63	₹ 3,745.55
2.	फलदार पौधारोपण किशोरी लाल सपुत्र रौनकी राम जमीन में वार्ड दो (मनरेगा समग्र 21-22)	1304009408/IF/32233487	श्री किशोरी लाल	₹ 98,062.00	₹ 41,208.00	₹ 56,854.00	₹ 37,864.76	₹ 3,343.24
3.	पौधारोपण फलदार चुनी लाल सुपुत्र मानी राम जमीन वार्ड दो (मनरेगा समग्र 2021-22)	1304009408/IF/32234428	श्री चुनी लाल	₹ 93,546.00	₹ 41,408.00	₹ 52,138.00	₹ 34,723.91	₹ 6,684.09
4.	फलदार पौधारोपण अशोक कुमार सुपुत्र विशन दास जमीन में वार्ड दो (मनरेगा समग्र 21-22)	1304009408/IF/32234429	श्री अशोक कुमार	₹ 98,439.00	₹ 41,559.00	₹ 56,880.00	₹ 37,882.08	₹ 3,676.92
5.	फलदार पौधारोपण शकुन्तला देवी पत्नी होशियार सिंह जमीन वार्ड दो (मनरेगा समग्र 21-22)	1304009408/IF/32234430	श्रीमती शकुन्तला देवी	₹ 98,279.00	₹ 41,208.00	₹ 57,071.00	₹ 38,009.29	₹ 3,198.71
6.	फलदार पौधारोपण संसार चंद पुत्र हर गोपन की जमीन में वार्ड एक (मनरेगा समग्र 21-22)	1304009408/IF/32263428	श्री संसार चंद	₹ 1,30,684.18	₹ 55,362.18	₹ 75,322.00	₹ 50,164.45	₹ 5,197.73
7.	पौधारोपण कार्य वीना देवी पत्नी ओम प्रकाश की जमीन में वार्ड दो	1304009408/IF/32299990	श्रीमती वीना देवी	₹ 77,656.43	₹ 35,479.43	₹ 42,177.00	₹ 28,089.88	₹ 7,389.55
8.	पौधारोपण कार्य स्वरूप चंद की जमीन में वार्ड दो	1304009408/IF/32299986	श्री स्वरूप चंद	₹ 77,177.84	₹ 35,193.84	₹ 41,984.00	₹ 27,961.34	₹ 7,232.50
		कुल जोड़		**₹ 8,08,467.63**	**₹ 3,47,483.63**	**₹ 4,60,984.00**	**₹ 3,07,015.34**	**₹ 40,468.29**

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Ballo Jadrangal
Development Block Dharamshala

(परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 9.2 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं में माप एवं मूल्यांकन दर्ज किए बिना राशि ₹ 10.37 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल व्यय राशी	एम० बी० सं०/ पृ० सं० (मस्ट्रोल अनुसार)	मूल्यांकन राशि	कार्य की स्थिति
1.	पौधारोपण कार्य बलदेव, राजकुमार , देश राज , धनी राम व भूमि चंद की जमीन में वार्ड तीन (1304009408/DP/8000046222)	2023-2024	₹ 2,79,293.00	₹ 2,60,001.73	0195 /25 से 28	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
2.	कूहल की खुदाई श्याम लाल के घर से मेन रोड की ओर वार्ड दो (1304009408/IC/8000053441)	2023-24	₹ 92,132.00	₹ 83,320.00	0195 / 28 से 30	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
3.	कूहल की खुदाई अनिल कुमार की जमीन से अशोक कुमार की जमीन की ओर वार्ड तीन (1304009408/IC/8000053442)	2023-24	₹ 57,223.00	₹ 49,965.00	0195 /38 से 40	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
4.	कूहल की खुदाई इक्कू से पटोला की ओर वार्ड एक (1304009408/IC/8000053440)	2023-24	₹ 2,84,828.00	₹ 2,63,637.00	0195 / 40 से 42	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
5.	कूहल की खुदाई भागन खड्ड से लेकर टांगर हार की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/8000053444)	2023-24	₹ 1,11,447.00	₹ 1,00,531.00	0195 /43 से 45	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
6.	निर्माण खेल मैदान समतल व बौन्डरी नजदीक आंगनवाडी (1304009408/AV/8000042160)	2021-22	₹ 2,99,740.00	₹ 2,79,805.65	0135/ 57 से 59	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
		कुल जोड़	**₹ 11,24,663.00**	**₹ 10,37,260.38**			

नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित माप पुस्तिका का विवरण संबंधित कार्यों के मस्ट्रोलों में तकनीकी सहायक द्वारा की गई प्रविष्टि अनुसार है।

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

(परिशिष्ट " ढ ", पैरा संख्या " 9.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोलों का भुगतान मस्ट्रोलवार मूल्यांकन के बिना करने के कारण राशि ₹2.36 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1.	निर्माण कूहल निर्जुल गोपाल दास की जमीन की तरफ वार्ड तीन (1304009408/IC/8000046680)	183	NIL/05.05.2022	₹ 15,960.00
2.		184	NIL/05.05.2022	₹ 3,990.00
3.	निर्माण कूहल राकेश के घर से प्रकाश चंद के घर की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/8000047016)	185	NIL/05.05.2022	₹ 16,150.00
4.		186	NIL/05.05.2022	₹ 7,220.00
5.		438	NIL/05.05.2022	₹ 9,310.00
6.	निर्माण गोशाला संजीव कुमार सपुत्र प्रशोतम लाल की जमीन मे (1304009408/IF/32161270)	187	NIL/05.05.2022	₹ 9,744.00
7.		726	NIL/19.05.2022	₹ 4,669.00
8.	फलदार पौधारोपण पंकज कुमार पुत्र विनोद कुमार की जमीन में वार्ड चार (मनरेगा समग्र 21-22)(1304009408/IF/32263426)	188	NIL/05.05.2022	₹ 15,200.00
9.		189	NIL/05.05.2022	₹ 3,800.00
10.	फलदार पौधारोपण अनिल कुमार पुत्र घुंड्र राम जमीन में वार्ड तीन (मनरेगा समग्र 21-22) (1304009408/IF/32263427)	190	NIL/05.05.2022	₹ 9,500.00
11.	फलदार पौधारोपण सुभाष चंद पुत्र तोता राम जमीन में वार्ड पांच (मनरेगा समग्र 21-22)(1304009408/IF/32263429)	191	NIL/05.05.2022	₹ 15,390.00
12.		192	NIL/05.05.2022	₹ 4,750.00
13.	फलदार पौधारोपण बैनी प्रसाद पुत्र जैसी राम की जमीन में वार्ड एक (मनरेगा समग्र 21-22)(1304009408/IF/32263430)	193	NIL/05.05.2022	₹ 14,820.00
14.	फलदार पौधारोपण विक्रमजीत पुत्र बिशनु राम की जमीन में वार्ड एक (मनरेगा समग्र 21-22)(1304009408/IF/32263431)	195	NIL/05.05.2022	₹ 11,020.00
15.		196	NIL/05.05.2022	₹ 2,470.00
16.	निर्माण सम्पर्क मार्ग लिंक रोड से लेकर संसार चद के घर की ओर वार्ड एक (1304009408/RC/8000149304)	197	NIL/05.05.2022	₹ 15,200.00
17.		198	NIL/05.05.2022	₹ 12,730.00
18.	निर्माण सम्पर्क मार्ग लिंक रोड से लेकर चुनी लाल के घर की ओर वार्ड दो (1304009408/RC/8000149309)	199	NIL/05.05.2022	₹ 9,880.00
19.		200	NIL/05.05.2022	₹ 8,170.00
20.	नवीनीकरण वर्षा जल संग्रहण तालाब वार्ड चार (अमृत सरोवर) (1304009408/WC/8000109964)	446	NIL/05.05.2022	₹ 7,200.00
21.		447	NIL/05.05.2022	₹ 4,680.00
22.		728	NIL/19.05.2022	₹ 540.00
23.		729	NIL/19.05.2022	₹ 720.00
24.	निर्माण कूहल श्याम लाल की जमीन से देश राज की जमीन की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/8000053445)	3262	NIL/21.08.2023	₹ 8,715.00
25.	पौधारोपण कार्य पास रवि कुमार जमीन वार्ड दो (1304009408/IF/32299982)	3270	NIL/21.08.2023	₹ 7,011.00
26.	पौधारोपण जगतम्बा प्रसाद की जमीन में वार्ड दो (1304009408/IF/8000117574)	3271	NIL/21.08.2023	₹ 10,608.00
27.	पौधारोपण कार्य प्रवीण कुमार की जमीन में वार्ड एक (1304009408/IF/8000117578)	3272	NIL/21.08.2023	₹ 6,822.00
			कुल जोड़	**₹ 2,36,269.00**

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat BallaJadranga
Development Block Dharamshala

45

(परिशिष्ट " ण " पैरा संख्या " 9.4 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹ 10.54 लाख के स्वीकृत कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका, प्राक्कलन, और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	कम्पलीशन खेल मैदान जी.पी.एस. बल्ला जदरांगल वार्ड चार (V.K.V.N.Y. में अभिसरण)	1304009408/AV/ 8000046255	2021-22	₹ 5,99,000.00	₹ 4,99,570.00	पूर्ण
2.	निर्माण कूहल व सुरक्षा दीवार बही नाला से किशोरी लाल की जमीन की ओर	1304009408/IC/ 8000053452	2023-24	₹ 4,55,282.00	₹ 3,57,286.46	पूर्ण
			कुल जोड़	**₹ 10,54,282.00**	**₹ 8,56,856.46**	

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल
विकास खण्ड धर्मशाला

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

परिशिष्ट " त ", पैरा संख्या " 9.7 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का नियामनुसार लेखांकन एवं अनुरक्षण न करना तथा नमूना जांच नियामनुसार न करने के कारण राशि ₹57.03 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	कुल व्यय राशी	मूल्यांकन राशि	एम० बी० सं० / पृ० सं०	कार्य की स्थिति
1.	निर्माण कूहल निर्जुल गोपाल दास की जमीन की तरफ वार्ड तीन (1304009408/IC/8000046680)	2022-23	₹ 2,64,131.00	₹ 2,10,577.85	₹ 2,11,254.00	0136/ 90 से 92	पूर्ण
2.	निर्माण कूहल राकेश के घर से प्रकाश चंद के घर की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/8000047016)	2022-23	₹ 2,89,433.00	₹ 2,21,470.90	₹ 2,15,076.00	0136/ 90 से 92	पूर्ण
3.	नवीनीकरण वर्षा जल संग्रहण तालाब वार्ड चार (अमृत सरोवर) (1304009408/WC/8000109964)	2022-23	₹ 2,98,208.00	₹ 2,37,475.25	₹ 2,45,665.00	0184/ 01 से 02	पूर्ण
4.	निर्माण कूहल श्याम लाल की जमीन से देश राज की जमीन की ओर वार्ड पांच (1304009408/IC/8000053445)	2023-24	₹ 1,99,960.00	₹ 1,75,733.76	₹ 1,79,394.00	0195/ 36 से 37	पूर्ण
5.	निर्माण सम्पर्क मार्ग लिंक रोड से लेकर संसार चंद के घर की ओर वार्ड एक (1304009408/RC/8000149304)	2021-22	₹ 2,91,246.00	₹ 2,68,680.35	₹ 2,70,175.00	0136/ 93, 94, 97	पूर्ण
6.	पौधारोपण फलदार राजेन्द्र सुपुत्र मोती राम जमीन वार्ड तीन (मनरेगा समग्र 2021-22) (1304009408/IF/32233483)	2021-22	₹ 1,07,925.00	₹ 1,04,190.00	₹ 1,07,690.00	0135/ 89 से 90	पूर्ण
7.	निर्माण कूहल इक्कू पुल से कांसली के ओर वार्ड दो (1304009408/IC/8000052109)	2023-24	₹ 2,64,921.00	₹ 2,18,556.27	₹ 2,19,895.00	0195 / 21 से 22	पूर्ण
8.	निर्माण कूहल किशोरी लाल की जमीन से मेन रोड की ओर वार्ड एक (1304009408/IC/8000052110)	2023-24	₹ 2,43,187.00	₹ 2,07,016.09	₹ 2,17,686.00	0195/ 23 से 25	पूर्ण
9.	निर्माण साइक्लोन शेल्टर वार्ड एक पटोला (1304009408/AV/8000045022)	2021-22	₹ 2,99,964.00	₹ 2,90,265.92	₹ 3,00,858.00	0136 / 64 से 65	पूर्ण
10.	निर्माण साइक्लोन शेल्टर वार्ड दो (1304009408/AV/8000045023)	2021-22	₹ 2,99,894.00	₹ 2,92,199.92	₹ 3,04,810.00	0136 / 68 से 69	पूर्ण
11.	निर्माण साइक्लोन शेल्टर सोलर लाइट पास पीपल पेड़ वार्ड तीन (1304009408/AV/8000045025)	2021-22	₹ 2,99,964.00	₹ 2,91,661.92	₹ 3,00,677.00	0136 / 66 से 67	पूर्ण
12.	निर्माण सम्पर्क मार्ग लिंक रोड से कमला देवी जमीन की तरफ (1304009408/RC/8000120249)	2021-22	₹ 2,95,391.00	₹ 2,44,035.78	₹ 2,46,970.00	0135/ 62 से 64	पूर्ण
13.	निर्माण सम्पर्क मार्ग सीरा वाली बावड़ी व धोबी घाट (1304009408/RC/8000120253)	2021-22	₹ 2,58,345.00	₹ 1,11,641.60	₹ 1,15,500.00	0135/ 68 से 69	पूर्ण
14.	निर्माण सम्पर्क मार्ग शिव मंदिर से इक्कू पुल की ओर वार्ड दो (1304009408/RC/8000153355)	2021-22	₹ 2,95,180.00	₹ 2,30,984.20	₹ 2,48,417.00	0136/ 87 से 89	पूर्ण
15.	निर्माण खेल मैदान समतल व खुदाई सफाई (1304009408/AV/8000042158)	2021-22	₹ 2,95,040.00	₹ 2,20,569.94	₹ 2,84,665.00	0135/ 52 से 54	पूर्ण
16.	पौधारोपण व सार्वजनिक भूमि की सफाई (1304009408/DP/8000041405)	2021-22	₹ 2,47,404.00	₹ 2,45,827.00	₹ 2,67,112.00	0135/ 70 से 71	पूर्ण
17.	पौधारोपण सार्वजनिक भूमि (1304009408/DP/8000041407)	2021-22	₹ 2,37,626.00	₹ 2,32,599.00	₹ 2,25,686.00	0135/ 72 से 73	पूर्ण
18.	निर्माण कूहल बेहि नाला वार्ड पांच (1304009408/IC/8000042404)	2021-22	₹ 2,83,048.00	₹ 1,61,505.05	₹ 1,71,426.00	0135/ 79 से 81	पूर्ण
19.	निर्माण कूहल अशोक कुमार के घर से सकीमो देवी के घर की ओर वार्ड दो (1304009408/IC/8000044395)	2021-22	₹ 2,84,367.00	₹ 2,37,119.85	₹ 2,42,174.00	0136/ 61 से 63	पूर्ण
20.	निर्माण नाली सुभाष चंद के घर से मेन कूहल की ओर वार्ड तीन (1304009408/IC/8000044396)	2021-22	₹ 2,56,395.00	₹ 1,40,723.10	₹ 14,122.00	0136/ 56 से57	पूर्ण
21.	सीढ़ियाँ व सुरक्षा दीवार जी.पी.एस. स्कूल के नजदीक ज्ञान चंद की जमीन के पास (1304009408/LD/8000049961)	2021-22	₹ 2,99,877.00	₹ 2,98,494.90	₹ 3,00,000.00	0135/ 82 से 84	पूर्ण
22.	भूमि कटाव सुरक्षा दीवार व सीढ़ियां श्याम लाल त्रिलोक शास्त्री की जमीन के पास (1304009408/LD/8000049962)	2021-22	₹ 2,99,133.00	₹ 2,83,984.90	₹ 2,88,362.00	0135/ 76 से 78	पूर्ण
23.	सुरक्षा दीवार व संपर्क मार्ग राजिंदर प्रसाद की जमीन की तरफ (1304009408/LD/8000049966)	2021-22	₹ 2,91,511.00	₹ 2,49,914.35	₹ 2,51,675.00	0135/ 73 से 75	पूर्ण
24.	निर्माण संपर्क मार्ग लिंक रोड से राम प्रसाद के घर की तरफ (1304009408/RC/8000120250)	2021-22	₹ 2,94,907.00	₹ 1,63,563.75	₹ 1,77,658.00	0135/ 59 से 61	पूर्ण
25.	निर्माण सम्पर्क मार्ग अशोक कुमार के घर से दीना नाथ के घर की ओर वार्ड पाँच (1304009408/RC/8000143926)	2021-22	₹ 2,96,336.00	₹ 2,42,983.40	₹ 2,46,079.00	0136/ 70 से 72	पूर्ण
26.	नवीनीकरण बावड़ी प्राकृतिक जल स्रोत कूहल के साथ (1304009408/WH/32043587)	2021-22	₹ 2,99,376.00	₹ 1,20,816.08	₹ 1,41,112.00	0135/65 से 68	पूर्ण
		कुल योग	₹ 70,92,769.00	₹ 57,02,591.13	₹ 57,94,138.00		

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Ballo Jadrangal
Development Block Dharamshala

47

कार्यालय ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176052

(क) आवेदनकर्ताओं से वसूली हेतु शेष राशि ₹0.004 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली का विवरण :-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली हेतु शेष राशि
1.	श्री राकेश कुमार	26-09-2022	05-10-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	N.A.		₹ 200.00
2.	श्री अशीष कुमार	17-02-2023	03-05-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0042678	03-05-2023	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 600.00	₹ 200.00			₹ 400.00

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.04 लाख को हि०प्र० कोषागार (Treasury) में जमा न करवाने का

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक
		वित्त वर्ष 2022-23					
1.	श्री ब्रह्म दत्त	केवल निरस्तीकरण हेतु शुल्क प्राप्ति		₹ 200.00	₹ 200.00	0042246	26-07-2022
2.	श्री अमरीश	08-07-2022	26-07-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0042251	26-07-2022
3.	श्री मनीत कुमार	27-07-2022	05-08-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0042257	05-08-2022
4.	श्री अमन कुमार	15-06-2022	06-08-2022	₹ 400.00	₹ 400.00	0042258	06-08-2022
5.	श्री शिवदर्शन	08-12-2022	06-02-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042661	06-02-2023
6.	श्री अजय कुमार	26-01-2023	21-02-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0042664	21-02-2023
			कुल योग	₹ 1,600.00	₹ 1,600.00		
			वित्त वर्ष 2023-24				
1.	श्री अशीष कुमार	17-02-2023	03-05-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0042678	03-05-2023
2.	श्री ओम प्रकाश	09-12-1986	31-07-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042686	31-07-2023
3.	श्री मुनीष कुमार	25-07-2023	18-08-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042691	18-08-2023
4.	श्री विजय कुमार	16-04-2022	22-09-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042694	22-09-2023
5.	श्री गौरव	19-11-2023	20-12-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042696	20-12-2023
6.	श्री सुशील कुमार	14-11-2023	20-12-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0042697	20-12-2023
7.	श्री रोहित सपुत्र श्री जौनी राम	19-11-2023	03-01-2024	₹ 50.00	₹ 50.00	0042698	03-01-2024
8.	श्री रोहित सपुत्र श्री श्याम लाल	05-01-2024	06-01-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0042699	06-01-2024
			कुल योग	₹ 2,450.00	₹ 2,450.00		

वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 1,600.00
वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 2,450.00
कुल योग	₹ 4,050.00

Amit Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Balla Jadrangal
Development Block Dharamshala

52 48